

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विकास, बीकानेर।

क्रमांक :- प.17(3955) आक्षेपि/रेगु/2021/182-85

दिनांक :- 23-03-2021

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.। 8209612035	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर 9116458111, 9413315069	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर 7976104018, 8306500641	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इगानप, बीकानेर 9116158111, 9413315069
--	---	---	--

विषय : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में दिनांक 22.03.2021 प्रातः 06 बजे से दिनांक 11.04.2021 प्रातः 06 बजे तक पीने हेतु पानी चलाये जाने का प्रस्ताव।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक एफ.4/रेगु/14-बी/1227 दिनांक 22.03.2021।

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि तकनीकी समिति की दिनांक 17.03.2021 को हुई बैठक में दिनांक 21.03.2021 से 21.03.2021 तक 3800 क्यूसेक, 22.03.2021 से 26.03.2021 तक 4800 क्यूसेक, 27.03.2021 से 29.03.2021 तक 3800 क्यूसेक एवं 30.03.2021 से 10.04.2021 तक 2000 क्यूसेक, हरिके से राजस्थान के लिए रावी व्यास नदियों का पानी निर्धारित किया गया है। जिसमें से इंदिरा गांधी नहर परियोजना हेतु 22.03.2021 से 23.03.2021 तक 2000 क्यूसेक, 23.03.2021 से 27.03.2021 तक 3000 क्यूसेक, 27.03.2021 से 11.04.2021 तक 2000 क्यूसेक पानी उपलब्ध हो सकेगा।

उपरोक्त के मध्यनजर दिनांक 22.03.2021 प्रातः 06 बजे से 11.04.2021 प्रातः 06 बजे तक (समय इंदिरा गांधी नहर की बुरजी 620 के आधार पर) अनिवार्य आवश्यकता एवं लोसेज के उपरांत शेष उपलब्ध पानी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से समन्वय कर इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की सभी नहरों में बारी-बारी से पीने हेतु निम्न प्रकार से प्राप्त प्रस्तावों को मुख्य अभियन्ता, इगानप बीकानेर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता इगानप जैसलमेर, तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता रेगुलेशन इगानप से प्राप्त सहमति के आधार पर निम्नानुसार एतद द्वारा अनुमोदित किया जाता है-

क.सं.	नहरें	मात्रा क्यूसेक में
1.	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
2.	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
3.	साहवा जलोत्थान नहर	113.84
4. I	कंवरसेन जलोत्थान नहर	148
4. II	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	02
5.	पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से	76
6.	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
7.	नागौर लिफ्ट के माध्यम से पीने का पानी	70
8.	मै. बी.एस. लिग्नाईट पावर प्रो. प्राई. लि. गुड्डा	05
9.	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट कैनल परियोजना	240
10.	सोलर पावर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड	1.6
11.	पोकरण फलसूंड पेयजल योजना	30
12.	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
13.	जैसलमेर शहर के लिए पेयजल	30
14.	जैसलमेर संभाग के ग्रामीण क्षेत्र हेतु पेयजल	70
15.	गिराल परियोजना	24
16.	राजवेस्ट परियोजना हेतु	40
17.	बाड़मेर लिफ्ट परियोजना हेतु	50
	योग	1080.44

h

-1-

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चक्रीय कार्यक्रम में इंदिरा गांधी फीडर एवं इंदिरा गांधी मुख्य नहर में 1100 क्यूसेक सीपेज लोस का प्रावधान लिया जाता है लेकिन केवल पीने हेतु पानी चलाये जाने पर सीपेज लोसेज लगभग 60-70 प्रतिशत ही होंगे। अतः अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति एवं लोसेज के पश्चात लगभग 500-600 क्यूसेक (22 से 23 मार्च व 27 मार्च से 11 अप्रैल) एवं 1500-1700 क्यूसेक (23 से 27 मार्च) पानी सभी नहरों में बारी-बारी से पीने हेतु चलाये जाने के लिए उपलब्ध हो सकेगा। 23 से 27 मार्च के दौरान मिलने वाले अतिरिक्त पानी से नहर में आवश्यक पोंड/भंडारण नहरबंदी के लिये किया जाना सुनिश्चित करें।

अनिवार्य आवश्यकता की आपूर्ति के पश्चात शेष उपलब्ध पानी को पीने हेतु चलाये जाने का कार्यक्रम सम्बंधित मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा आवश्यकता/प्राथमिकता अनुसार अपने स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु निम्न बिन्दुओं का भी पालना करें :-

1. नहरों के लिए पानी केवल पेयजल हेतु उपलब्ध कराया गया है, सिंचाई हेतु नहीं। संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर इसको सुनिश्चित करेंगे।
2. जन स्वा. अभि. विभाग एवं पंचायती राज विभाग उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराये जा रहे पेयजल का अपने विभागीय स्रोतों के माध्यम से उपयोग करना सुनिश्चित करें।
3. जारी उक्त कार्यक्रम में संबंधित नहर के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई व्यवस्था एवं जिला कलक्टर द्वारा पानी वितरण की प्रभावी मोनेटरिंग हेतु गठित टास्क फोर्स की क्रियान्विति के लिए प्रत्येक समय अपने मोबाईल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि जन प्रतिनिधियों व नागरिकों को पेयजल उपलब्धता के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त हो सके।
4. अधिशासी अभियन्ता स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जाने के संबंध में आदेश क्रमांक प.9()संआबी/काव्य/रबी फसल/16/613 दिनांक 10.10.16 प्रसारित किये जा चुके हैं, जिसकी पालना करने का उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
5. पानी का उपयोग केवल पेयजल के लिए सुनिश्चित करने के क्रम में जल संसाधन, राजस्व, विकास एवं पुलिस विभाग के कार्मिकों की गश्त कार्यवाही संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में सिंचाई विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

इसी के साथ यह भी सूचित रहे कि पंजाब द्वारा दिनांक 30 मार्च से 28 मई 2021 तक (दोनों दिन सम्मिलित), 60 दिनों का राजस्थान फीडर में क्लोजर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजस्थान के लिए प्रथम 30 दिन, दिनांक 30 मार्च से 28 अप्रैल, 2021 तक आंशिक बंदी के होंगे। आंशिक बंदी के दौरान राजस्थान को सरहिंद फीडर के माध्यम से आरडी 496 पर लगभग 1950-2000 क्यूसेक पानी पीने हेतु मिलेगा। दिनांक 29 अप्रैल से 28 मई 2021 तक के 30 दिन पूर्ण बंदी के होंगे। 30 दिन की पूर्ण बंदी के दौरान राजस्थान द्वारा इन्दिरा गांधी फीडर (हरियाणा एवं राजस्थान भाग) एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में रि-लाईनिंग के कार्य करवाये जायेंगे।

भवदीय,

(संजय धबन)

अति० आयुक्त,

क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- विशेषाधिकारी (एस), मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
- 2- प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, सीएडी एवं जल उप0 विभाग, राज, जयपुर।
- 3- अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
- 4- संभागीय आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- 5- निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जल संसाधन, राज. जयपुर।
- 6- जिला कलक्टर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
- 7- जिला पुलिस अधिक्षक, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
- 8- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
- 9- मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।
- 10- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना जैसलमेर।
- 11- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, रेगुलेशन, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर।
- 12- अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, राजीव गांधी लिफ्ट केनाल एवं जोधपुर शहर, जोधपुर।
- 13- अति0 मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बीकानेर।
- 14- उपखंड अधिकारी, बीकानेर/खाजूवाला/लूनकरणसर/पूगल/छत्तरगढ़/कोलायत/अनूपगढ़/भादरा/चूरु/श्रीगंगानगर/श्रीविजयनगर/घडसाना/सूरतगढ़/हनुमानगढ़/नोहर/पीलीबंगा/रावतसर/सरदारशहर/तारानगर/फलोदी/पोकरण/जैसलमेर।
- 15- अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त, हनुमानगढ़/विजयनगर/छत्तरगढ़।
- 16- अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत्त, नागौर।
- 17- अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि0 विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत्त, बाड़मेर।
- 18- जिला संपर्क अधिकारी, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर।
- 19- निजी सचिव, आयुक्त, सीएडी, बीकानेर।

अति0 आयुक्त,

क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।